an>

Title: Regarding business of the House and referring to Rule 356.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: The point that I am referring to is Rule 356.

HON. SPEAKER: No.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Rule 356 says

> "The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetitionâ€¦"

Madam, this has been repeated not once, twice, thrice, four times but five times. The same day when Rahul *ji* raised this matter, the Minister responded. Then, Kirit Somaiya *ji* was allowed to raise this matter; the Minister responded. Again, Rajnath Singh *ji* had given a promise. This is the fifth time the Government is responding. Is this not repetition? We say once; they say five times. You are allowing their arguments. This is not natural justice. This is not democracy. Our voice cannot be muzzled; our voice has to be heard. You cannot allow repetition. As per the statute, you cannot allow repetition. As per Rule 356, you cannot allow repetition. That is why the Rules are there. You cannot allow the Government to voice their opinion five times in the hope that that will shut our voice. ...(*Interruptions*)

She is also wrong on facts. Madam, you allow a discussion. We will bring out our facts. They cancelled the food park. Now they are resorting to arguments; five times they made their arguments. This is not acceptable. ...(*Interruptions*)

Our humble submission to you, Madam, it is you, it is your Chair who has allowed her to make this argument fifth time. It is your Chair who has allowed them to make this argument fifth time. That is our contention. It is not a personal aspersion on you ...□ That is our contention....(*Interruptions*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, सदन के भीतर सत्य रखने का अधिकार सरकार को है।...(व्यवधान) अगर सरकार को सत्य रखने का अधिकार है तो निश्चित रूप से सुनने का पोटेंशियल होना चाहिए।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष जी, जिस समय श्री राहुल गांधी जी ने फूड पार्क का मामला जो अमेठी के अंतर्गत आता है, उसे उठाया था तब मैंने सदन में खड़े हो कर आश्वस्त किया था कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। यह आश्वासन देने के बाद तुरंत फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत जी से मैंने बात की और इस संबंध में मैंने पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने मुझे डिटेल्ड जानकारी मुझे दे दी थी। जिस दिन मैंने वायदा किया था उसी दिन मैंने वह जानकारी श्री राहुल गांधी जी को उपलब्ध करवा दी थी, उसको उनके घर पर भिजवा दिया था। मैंने जो वायदा किया था, उसे पूरा कर दिया था। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यदि किसी सदस्य द्वारा कोई प्रश्न सदन में उठाया जाता है, यदि मंत्री उस पर एक बार की बजाय दो बार उसकी जानकारी दे देता है, तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? यह बात हमारी समझ के परे है, यह बात समझ में नहीं आ रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग कृपया बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, आप लोग कृपया बैठ जाएं। कृपया आप सभी बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझसे बात की जा रही है। आप लोग बैठ जाएं। दीपेन्द्र हुड्डा जी, आपने रूल 356 उठाया है। एक बात आपने गलत कही है कि पांच बार, छह बार ऐसा कुछ नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरी बात को भी पूरी तरह से सुनें। अगर हम देखें और यदि मैं गलत नहीं तो माननीय राहुल जी ने सात मई को यह मामला सदन में उठाया था। जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा, उस समय हरसिमरत कौर जी ने कुछ नहीं बोला था।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकार्ड में है कि उस समय वह नहीं बोली थीं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस समय मंत्री जी नहीं बोलीं थीं। He himself is saying 'No'.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, we will have to see the records.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: राहुल जी भी कह रहे हैं कि नहीं बोली थी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद, शायद आठ तारीख को हो सकता है कि किरीट सोमैय्या ने जब कुछ मामला उठाया, उस समय उन्होंने कुछ प्रिवलेज मोशन लाने की बात कही थी। मैंने उनको कहा था कि हाऊस में प्रिविलेज तो नहीं उठ सकता है। तब हरसिमरत जी ने कहा था कि मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगी। इसलिए जब उनकी बात शुरू हो गई तो कुछ गलत शब्द भी उनके मुंह से निकले, जिस पर मैंने तुरंत कहा था that this will not go on record. उसके बाद जिस तरीके से एक हल्ला-गुल्ला हो गया तो उनकी बात अधूरी रह गई। उस दिन हरसिमरत जी पहली बार ही बोली थीं। उसके बाद उनकी बात, जो अधूरी रह गई कि डीटेल्स रिकॉर्ड में नहीं जा सके, उन्होंने तुरंत मुझे पत्र भी लिखा और उस पूरे फूड

पार्क के संदर्भ में एज़ ए मिनिस्टर उन्होंने एक पूरा स्टेटमेंट बना कर मुझे दिया और कहा कि मेरी पूरी बात उस फूड पार्क के संदर्भ में उस दिन नहीं हो पाई है और इसलिए मैं इस पर स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। कल उनका वह पत्र मेरे पास आया था, लेकिन कल हाऊस में उस समय कुछ नहीं हो पाया तो मैंने उनको कहा कि आप दूसरे दिन इसको देखिएगा, मैं आपको अलाऊ करूंगी। मिनिस्टर कुछ स्टेटमेट देना चाहे तो हम अलाऊ करते हैं। मैंने खुद वह पूरा स्टेटमेंट पढ़ कर भी देखा है। उसमें टोटल यह एक्सप्लेनेशन है कि फूड पार्क का किस-किस स्टेप्स में क्या-क्या हुआ है। यह मैंने खुद देखा है और आपको भी स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आज यानि actually, it is the second time not the fifth time. आप इसे समझ लें। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go through the records.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अब दूसरी बात, इसलिए आज सैकेंड टाईम उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा है। आप उस स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर आगे कुछ बोलोगे तो मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा कि अगर फाईव टाइम्स रिकॉर्ड में हरसिमरत कौर का स्टेटमेंट नहीं हुआ तो आप सॉरी बोलोगे?

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not do that.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Shri M. Raja Mohan Reddy.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Are you challenging me? First you go through the records and then come to me. I am sorry.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: First you go through the records and then come to me.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not fair. Please sit down.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, this is not the Speaker's personal issue. It is the issue of the House. If my friend Shri Deepender Hooda has quoted Rule 356 then, he must remember that everyday....(*Interruptions*) I am appealing to the Chair. Why do you bother? Please sit down....(*Interruptions*) I am speaking with the permission of the Chair. Nobody should challenge the hon. Speaker. Nobody can enter into an argument....(*Interruptions*) Please expunge what he has said....(*Interruptions*) He has questioned the hon. Speaker....(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Deependerji, now, what do you want to say? Please, go on.

...(*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Madam, three times, she has spoken on the same subject and twice Dr. Kirit Somaiyaji has spoken....(*Interruptions*) In total, we have had five interventions on the subject from the Treasury Benches. ...(*Interruptions*) All the Ministers are allowed to make two statements on a subject. Give me one example....(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not the issue. You are also saying something everyday. Five times or ten times it happens. Please sit down.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri M. Raja Mohan Reddy.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, it is not accepted at all. It is not the personal question of the hon. Speaker. It is the question of the House. No Member can question the hon. Speaker. ...(*Interruptions*) No Member can challenge the hon. Speaker as per the rules and he is quoting the rules....(*Interruptions*) Then, we have to think about it....(*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, whatever Mr. Hooda said should be expunged.

HON. SPEAKER: We will see to it. Now, what to do?

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 12 p.m.

11.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till

Twelve of the Clock.

12.02 hrs

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

â€¦(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो मुद्दा हमने उठाया और उसे उठाते समय अगर कोई ऐसे शब्द कहे गए जिसमें जो चेयर है, स्पीकर है, लोक सभा अध्यक्ष के फैसले को लेकर या आपकी गरिमा को लेकर, तो यह कतई न तो मेरा उद्देश्य था, न मेरी भावना ऐसी थी। हम सरकार के फैसले पर प्रश्न खड़ा करना चाह रहे थे कि सरकार बार-बार इस बात को क्यों इस सदन में लेकर आ रही है। अपनी बात बार-बार कह रही है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। मगर आपके फैसले को लेकर या आपकी गरिमा को लेकर और आपके पद के ऊपर, आसन के ऊपर कोई ऐसी बात कहना न तो मेरा उद्देश्य था, न मेरी भावना थी। इस सदन में पिछले दस वÂाऩ से, मैं समझता हूँ कि मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, मगर आज अगर कोई ऐसी बात की गई है तो उस पर मैं अपनी तरफ से गहरा खेद व्यक्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

-